रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940
No. 637] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्वर, 2018

सा.का.नि. 871(अ).– मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 547(अ), तारीख 13 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 13 जून, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्**:—**

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (बारहवॉ संशोधन) नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के उप–नियम (15) में, –

   (i) खंड (क) में छठे परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

   ''परन्तु यह कि इस खंड की कोई भी बात 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के लिए कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के परिचालन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगी ;'';

   (ii) खंड (कक) में, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह कि इस खंड की कोई भी बात 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के लिए कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के परिचालन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगी ;'';

[फा.सं. आर.टी.11017/05/2016–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पणः– मूल नियम सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 749(अ), तारीख 7 अगस्त, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2018

G.S.R. 871(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 547 (E), dated the 13th June, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 13th June, 2018 ;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (12th Amendment) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115, in sub-rule (15),-

(i) in clause (a), after the sixth proviso and before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that nothing in this clause shall apply to the special purpose vehicles (armoured and other specialised vehicles) used for operational purposes for maintenance of law and order and internal security, for a period up to 31st December, 2019;";

(ii) in clause (aa), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing in this clause shall apply to the special purpose vehicles (armoured and other specialised vehicles) used for operational purposes for maintenance of law and order and internal security, for a period up to 31st December, 2019;".

[No.RT-11017/05/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published vide number G.S.R.590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number GSR 749(E) dated 7th August, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.14 14:32:10 +05'30'